

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/76
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00062
CICOM/R/2019/00044

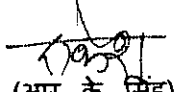
दिनांक: 14.03.2019

अपीलकर्ता : श्री वी. पी. थम्पी,
ई-104ए, पुरानी चन्द्रावल,
मैगजीन रोड, सिविल लाइन्स,
दिल्ली - 110054.

निर्णय की तारीख: 14.03.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.01.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	07.03.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	97/14.03.2019 (10038/13.03.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 11.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आर.टी.आई. आवेदनों/अपलों के निस्तारण से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 05.01.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2019/00044 के माध्यम से दिनांक 16.01.2019 को प्रदान की गई सूचना से अधोहस्ताक्षरी पूर्णतः सहमत हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

